

सन्चय सं 203-05/एसआईडीसी/आईए/एचओ/पालिसी वाल्यून्-16 दिनांक 25-4-13

—: कार्यालय आदेश—

निगम के निदेशक मण्डल की 281वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक/आवासीय सेक्टरों में स्कूल/कालेज/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/योगेन हॉस्पिटल कम क्रान्च/धार्मिक स्थल/टैस्टिंग लेब आदि हेतु आरक्षित भूखण्डों का आवंटन स्कूल/कालेज/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/योगेन हॉस्पिटल कम क्रान्च/धार्मिक स्थल/टैस्टिंग लेब आदि के स्थापनार्थ किया गया है उनका हस्तान्तरण मात्र उसी परिशोधना स्थापना हेतु किया जाएगा जिसके लिये भूखण्ड पूर्व में आवंटित किया गया है तथा आवासीय/औद्योगिक, जिस सेक्टर में उक्त भूखण्ड स्थित हो, उसकी वर्तमान प्रीमियम दर पर 10 प्रतिशत की दर से हस्तान्तरण लेवी चार्ज की जाएगी। धार्मिक स्थलों के लिये आवंटित भूखण्डों का हस्तान्तरण जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात उपरोक्तानुसार ही किया जाएगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(मनोज सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

संख्या

एसआईडीसी-आईए-पालिसी वाल्यून्-16

दि०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव एवं समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, (औ० क्षेत्र), मुख्यालय, कानपुर।

(मनोज सिंह)

प्रबन्ध निदेशक